प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' सैंतीस '

प्रश्न सं. [क्र. 2951]

[26/7/2016]

कार्यालय
संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश
29 ए 'खनिज भवन' अरेरा हिल्स भोपाल
फोन एवं फैक्स 0755-2551795
E-mail:dirgeomn@mp.nic.in

क्रमांक 7206 /डी0जी0एम0)न0क्र /2016 भोपाल, दिनांक 06/5/16

प्रति

श्री व्ही0के0शुक्ला
मध्यप्रदेश शासन के स्थाई अधिवक्ता
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली

विषय:- ओए क्रमांक 34/2016 श्री नरेश जरगर विरूध्द मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश पर अभिमत प्रदान करने के संबंध में।

--

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि माननीय एन0जी0टी0 द्वारा विषयांकित प्रकरण में दिनांक 4 मई 2016 को आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के संदर्भ में अनुरोध है कि निम्नानुसार बिन्दुओं पर विधिक अभिमत शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें:-

1- जिन खदान मालिकों द्वारा उन्हें स्वीकृत खनि रियायत के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2016 तक आवेदन सिया/डिया में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पूर्ण है , क्या वे खनि रियायतधारी दिनांक 31 मई 2016 तक बिना पर्यावरण स्वीकृति के खनन कार्य कर सकेंगे अथवा नहीं?

2- माननीय एनजीटी के द्वारा पारित आदेश की कंडिका 22(4) में यह आदेशित है कि जिन खदान मालिकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अपूर्ण हैं और वे यदि एक सप्ताह में आवेदन पत्र पूर्ण कर देते हैं तो उन्हें दिनांक 31 मई 2016 तक का उपरोक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा? कृपया स्पष्ट अभिमत प्रदान करें कि उक्त पटटाधारियों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकेगा?

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि अन्य किसी महत्वपूर्ण बिन्दु पर अभिमत दिया जाना आवश्यक हो तो कृपया वह भी प्रदान करने का कष्ट करें ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

संचालक

पार विशेष-'छ'

From vinod shukla <vkslawoffices@gmail.com>
Sent Sunday, May 8, 2016 9:18 am
To dirgeomn <dirgeomn@nic.in>
Subject Re: ओ.ए.क्रमांक 342016 श्री नरेश जरगर विरूद मध्यप्रदेश शासनएवं अन्य में पारित आदेश पर अभिमत प्रदान करने के संबंध में

The first query in your letter has been answered in the directions given by Hon'ble NGT in para 22(1)to(4) of the order. However, the order is silent on this aspect as to whether those who have applied till 31.3.2016 will continue 31.05.2016 or not ?

With regard to second query, as per order, if the mine owners cure the defects in their applications in the given time of one week, they will be treated to be at par with those who have applied till 31.3.2016.

2016-05-06 17:42 GMT+05:30 dirgeomn <dirgeomn@nic.in>:

--
V.K. SHUKLA
Advocate, Supreme Court of India
Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh
Office: B-68 | Lajpat Nagar-1 | New Delhi-110024 | Tele: 011-29820668 Fax: 011-29820667 | E-mail: vkslawoffices@gmail.com | Mob.: +91 8800131234 |

CONFIDENTIALITY NOTE

The contents of this message may be legally privileged and confidential, for the use of the intended recipient(s) only. It should not be read, copied and used by anyone other than the intended recipient. If you have received this message in error, please immediately notify us at the above co-ordinates, preserve its confidentiality and delete it from your system. Thank you.

JD
8.5.16
8/5/16
(JD)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

7